न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—03/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/03)

1. नाथूसिंह पुत्र बच्चनसिंह, जाति राजपूत, उम्र लगभग 79 वर्ष, निवासी— ग्राम तित्यारी तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर (फौत)।
   1/1 भंवर सिंह पुत्र नाथूसिंह
   1/2 भगत सिंह पुत्र नाथूसिंह
   1/3 जगदीश सिंह पुत्र नाथूसिंह
   1/4 बलवीर सिंह पुत्र नाथूसिंह
   1/5 किशोर सिंह पुत्र नाथूसिंह
   1/6 प्रेमकंवर पत्नी नाथूसिंह
   1/7 संतोष कंवर पुत्री नाथूसिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी राजपूतो का मौहल्ला तित्यारी तहसील रूपनगढ जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. सज्जनसिंह पुत्र बच्चनसिंह, जाति राजपूत उम्र लगभग 77 वर्ष, निवासी ग्राम तित्यारी तहसील रूपनगढ, हाल निवासी—मंझेला रोड, किशनगढ जिला अजमेर।
2. गोपालसिंह पुत्र बच्चनसिंह, जाति राजपूत, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी ग्राम तित्यारी तहसील रूपनगढ, हाल निवासी—बजरंग कोलोनी, किशनगढ जिला अजमेर।
3. हरिसिंह पुत्र बच्चनसिंह, जाति राजपूत उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी ग्राम तित्यारी तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर।
4. भंवरलाल पुत्र धन्ना, जाति जाट, उम्र 66 वर्ष, निवासी— ग्राम तित्यारी तहसील रूपनगढ, हाल निवासी—मंझेला रोड, किशनगढ जिला अजमेर।
5. श्रीमान तहसीलदार साहब, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.09.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ राजस्व वाद संख्या 32/20

उपस्थितः—

1. श्री शहाबुद्दीन खान, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री अरविन्द दाधीच, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 .
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 05.
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 स्वयं उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांकः–02.06.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 32/20 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.09.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम तित्यादी पटवार हल्का पींगलोद भू0अ0नि0 करकेडी तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान के वादग्रस्त नया खाता संख्या 47 खसरा संख्या 153 रकबा 4.679 हैक्टर भूमि स्थित है कि भूमि के संबंध में रेस्पोडेंट/वादीगण ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ जिला अजमेर ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही एकपक्षीय रूप से सुनते हुए उक्त वाद को निर्णित कर प्रारम्भिक डिक्री निष्पादित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 32/20 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.09.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 02, 03 न्यायालय में उपस्थित हुए किन्तु दौराने बहस अपील प्रस्तुत नहीं हुए।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अपीलांट को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.12.2001 को प्राप्त हुई जब तहसील कार्यालय रूपनगढ से सूचना नोटिस बाबत कमिश्नर रिपोर्ट बाबत प्राप्त हुई तब अपीलांट को जानकारी हुइ कि उसके विरूद्ध उपरोक्त प्रकार से निर्णय पारित किया जा चुका है इससे पूर्व अपीलांट को उक्त निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी उक्त नोटिस प्राप्त होने की दिनांक 24.12.2021 से अंदर मियाद यह अपील बिना विलम्ब प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में उक्त अनुसार हुई देरी को क्षमा किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि विवादित भूमि के खसरा नम्बर 153 रकबा 4.6679 हैक्टर ग्राम तित्यादी जिला अजमेर में अवस्थित है जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा एक बंटवारा वाद पेश कर अपीलांटसगण एवं रेस्पोडेंट सख्यां 2 लगायत 5 को पक्षकार बनाकर पेश किया गया जिस पर नोटिस जारी कर अपीलांट को कोई नोटिस तामील नहीं किए गए बाले–बाले रेस्पोडेंट संख्या 1 निर्देश अनुसार प्रोपर तामील किए बगैर सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत जाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 ने वाद संख्या 32/2020 एकपक्षीय रूप से बगैर दस्तावेजों पर प्रदर्श करवाए एवं बगैर वादी एकं प्रतिवादीगण की साक्ष्य सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत जाकर एकपक्षीय प्रारम्भिक डिक्री प्राप्त कर ली गई जिसकी अपीलांटगण को कोई जानकारी नहीं थी जो न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24.9.2021 अपास्त कर समस्त सहखातेदारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर तनकीयात एवं सीपीसी की प्रक्रिया के तहत वाद का नस्तारण न्यायहित में होगा। इसलिए जिस न्यायालय में विधिक त्रुटि

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

की है, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के आदेश कुर्रेजात रिपोर्ट वादी के निर्देशों पर मंगवाई गई जिसमें जों बंटवारा प्रस्ताव बनाया गया। प्रेक्टिकल एवं मौके के विपरीत है सिमें खसरा नम्बर 153/2 में सभी खातेदारान का कुंआ है जिसे सभी खातेदार सिंचाई करते है यदि उपरोक्त बंटवारा तहसीलदार द्वारा सही मानते है तो अपीलांट को उक्त कुंए से सिंचाई की सुविधा समाप्त हो जाएगी क्योंकि उक्त रकबा अन्य खातेदार का दर्शाया गया एवं खसरा नम्बर 153/4 एवं 153/9 जो खेत के पीछे हे जिसमें अपीलांट का आने जोन का रास्ता बंद है इसलिए भी उक्त बंटवारा प्रस्ताव उचित एवं विधिक नहीं है जो कि नियम 18 से 21 बंटवारा प्रस्ताव बनाते समय पालना नहीं कि गई एवं प्रत्येक सह–हिस्सेदार का प्रत्येक इंच पर संयुक्त हिस्सा विधि अनुसार निहित है इसलिए उपरोक्त खाते का खडे बंट किए जाना आवश्यक है ताकि अपीलांटगण के सभी खेतों में प्रवेश एवं कृषि कार्यो में आवागमन एवं सिंचाई कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो इसलिए तहसीलदार के द्वारा समस्त खातेदारान की उपस्थिति में पुनः मौका अनुसार भौतिक रिपोर्ट, बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया जाना आवश्यक है जो कि पूर्व में बंटवारा प्रस्ताव एकपक्षीय रूप से रिपोर्ट मंगवाई जो कतई न्यायोचित है जबकि बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 05.01.2022 को बनाया गया जिस पर अपीलांट के द्वारा लिखित प्रार्थना–पत्र द्वारा आपत्ति पेश की गई कि उपरोक्त विवादित आराजी पर न्यायालय द्वारा मौके वं रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित कर दिए गए है इसलिए कुर्रेजात रिपोर्ट कार्यवाही को ड्रोप किया जाना आवश्यक है जिस पर तहसीलदार द्वारा अनसुनी कर अनुचित तरीके से जबरन कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई तो कन्टैम्प की श्रेणी में आता है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 32/20 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.09.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि ग्राम तित्यारी पटवार हल्का पीगलोद भू अभिलेख निरीक्षक करकेडी तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान के वादग्रस्त नया खाता संख्या 47 खसरा संख्या 153 रकबा 4.6679 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिसका मौखिक रूप से विभाजन हो रखा है। उसके अनुसार वादी व प्रतिवादी का उक्त भूमि वादी एंव प्रतिवादीगण के खातेदारी की भूमि का विधि अनुसार विभाजन नहीं हुआ है, जबकि कब्जे काश्त के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी के पृथक पृथक कब्जे काश्त चली आ रही है। वादी व प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की भूमि के मध्य वाद की स्थिति और न बने जिसके कारण वादग्रस्त भूमि का कब्जे काश्त के आधार पर मौके के अनुसार विभाजन किया जाना आवश्यक है। वादी प्रतिवादी को उनके कब्जे काश्त में बाधा कारित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। अतः वादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद

किया जाना आवश्यक है कि वे प्रतिवादी के कब्जे काश्त में बाधा कारित नहीं करे। प्रतिवादी संख्या 5 लैण्ड होल्डर है इस कारण विभाजन के वाद में उन्हें पक्षकार बनाया गया है वादी ने दिनांक 10.7.2022 को प्रतिवादी के कब्जे काश्त में बाधा कारित की तो प्रतिवादी कने आपत्ति प्रकट की और वादी को कहा कि अर्सेदराज से दोनों पक्षों का कब्जा काश्त है, इस आधार पर उन्हें कब्जे–काश्त में बाधा कारित करने का अधिकार नहीं है। जिससे मानने से वादीगण ने स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया इस कारण वाद उत्पन्न हुआ। उक्त वाद दिनांक 10.7.2020 को जब वादीगण ने खसरा संख्या 153 में कब्जे काश्त में बाधा कारित की जिसके कारण उक्त वाद कारण उत्पन्न हुआ।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जरिए सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल शुदा प्राप्त हुए, प्रतिवादी संख्या 01 से 04 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। वादीगण की अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी वास्ते साक्ष्य हेतु पेश किया गया तथा दिनांक 07.04.2021 को प्रतिवादी संख्या 01, 3 स्वयं उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 03 हरिसिंह ने जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद में जमाबंदी के हिस्सेनुसार बंटवारा कर दिया जावे तो मैं सहमत हूँ। अन्य प्रतिवादीगण की ओर से प्रकरण में जवाब पेश नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाकर, तहसीलदार, रूपनगढ को कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिए गए कि ग्राम तित्यारी के खसरा नम्बर 153 रकबा 4.6679 हैक्टर भूमि का वादी व प्रतिवादी के मध्य हिस्से अनुसार कब्जे काश्त एवं मौके अनुसार विभाजन कर वादी व प्रतिवादी के हिस्से का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अलग–अलग खाता नम्बर कायम कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या .2 वर्तमान अपीलांट बावजूद सूचना के भी उपस्थित नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। अपीलांट ने वाद में अपनी उपस्थित नहीं होकर यह अपील प्रस्तुत कर कथन कर रहे है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनको सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया है, जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किये है वह विधि सम्मत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होते हैं। न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 24.09.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाकर, तहसीलदार, रूपनगढ को मौका कमिशनर नियुक्त किया गया तथा ग्राम तित्यारी के खसरा नम्बर 153 रकबा 4.6679 हैक्टर भूमि का वादी व प्रतिवादी के मध्य हिस्से अनुसार कब्जे काश्त एवं मौके अनुसार विभाजन कर वादी व प्रतिवादी के हिस्से का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से

CamScanner

अनुसार अलग–अलग खाता नम्बर कायम कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे। तहसीलदार, रूपनगढ़ की मौका रिपोर्ट दिनांक 05.01.2022 जो पटवारी हल्का ग्राम पींगलोद, आई.एल.आर. करकेड़ी एवं तहसीलदार, रूपनगढ़ द्वारा तैयार की गई है जिसमें सज्जनसिंह पुत्र बच्चन सिंह, गोपाल सिंह पुत्र बच्चन सिंह, हरिसिंह पुत्र बच्चन सिंह उपस्थित थे एवं मौका रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर भी अंकित है किन्तु अपीलांट नाथू पुत्र बच्चन सिंह जानकारी के अभाव में मौके पर उपस्थित नहीं हो सका। प्रश्नगत प्रकरण में जो मौका रिपोर्ट बनायी गई, उसमें गोपालसिंह पुत्र बच्चनसिंह को तो एक चक हिस्सा दिया गया किन्तु सज्जनसिंह पुत्र बच्चन सिंह, हरिसिंह पुत्र बच्चन सिंह, नाथू सिंह पुत्र बच्चन सिंह को मौका रिपोर्ट तैयार करते समय जो हिस्से नक्शें में दर्शाये गये है वे एक चक नहीं होकर अलग–अलग हिस्से में बंटवारा किया गया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा विधिवत् रूप से करवाया जाता तो सभी खातेदार को कॉम्पेक्ट डिवीजन कर पृथक–पृथक एक जाई हिस्सा दिया जाना चाहिए था तथा मुख्य मार्ग एवं कुएँ तक जाने का रास्ता भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए था, इसके अतिरिक्त अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 गोपालसिंह, रेस्पोडेन्ट संख्या 03 हरिसिंह, रेस्पोडेन्ट संख्या 04 भंवरलाल को जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं दिया गया। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के द्वारा वाद संख्या 32/2020 में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.09.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान से जवाब दावा प्राप्त कर, दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर, तनकीयात पर साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए मौके पर काबिज अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार विधिनुसार प्राथमिक डिक्री पारित करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 02.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner